लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
106/2021 (GCMS 2021/465)	12.11.2021	01.12.2021

अनवान

उदय कुमार जैन पिता इन्द्रमल जैन निवासी 18 ए, तिलक कॉलोनी हि. म. सेक्टर 3, उदयपुर

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 14.09.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./106/2021(सू.अ.)(01.12.2021) से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.12.2021 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 01.12.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

बावजूद सूचना अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक रीडर/लोसूअ/2021/539 दिनांक 30.11.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

परिवादी श्री उदयकुमार जैन निवासी 18 ए तिलक कॉलोनी हिरण मंगरी सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.09.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 1 से पुरानी तहसील भवन की कितने

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वर्गफीट भूमि का आवंटन हो चुका है शेष कितने वर्गफीट रही है वो खाली पड़ी हुई है या अतिक्रमण है। व बिन्दु संख्या 2 से ग्राम गुरजनिया आ.नं. 820 में से मि.नं. 52 53 54 वर्ष 1982 को धारा 98 में दिये गये बाड़ों की पूर्ण पत्रावलियों की फोटोप्रति चाही गयी।

तत्पश्चात् संबंधित रेकार्ड को कार्यालय में काफी ढुंढने के प्रयास किये गये परन्तु रेकार्ड अत्यन्त पुराना होने से नहीं मिलने से उक्त सूचना के क्रम में कार्यालय हाजा के पत्रांक रीडर/लोसूअ/2021/1040 दिनांक 22.11.2021 से उक्त सूचना से सम्बन्धित रेकार्ड कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं होना बताया जाकर प्रार्थी को जरिये डाक सूचित किया जा चुका है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक रीडर/लोसूअ/2021/539 दिनांक 30.11.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी द्वारा अपने पत्रांक रीडर/लोसूअ/2021/1040 दिनांक 22.11.2021 द्वारा सूचित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर सूचनाऐं उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं एवं उनके द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक रीडर/लोसूअ/2021/1040 दिनांक 22.11.2021 द्वारा प्रेषित जवाब भी उचित एवं संतुष्टीपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी, जिला चित्तौड़गढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना से संबंधित रेकार्ड को कार्यालय में तलाश कर बिन्दुवार तैयार कर 15 दिवस में अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राशमी एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 01.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा) (I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ (राज.)